



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2013/माघ 17, 1934

No. 300]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2013/MAGHA 17, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2013

का.आ. 324(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3छ उप-धारा (5) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त उप-धारा के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थम नियुक्त करती है जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उक्त तालिका के कॉलम (3) और कॉलम (4) में यथा-विनिर्दिष्ट अपने संबंधित क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंदर, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा के अंतर्गत मध्यस्थम पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

तालिका

रारा-63 के किमी 244.22 से किमी 244.52 के बीच और रारा-48 पर किमी 201/100 से किमी 202/00 के बीच वे-इन-मोशन सह एटीसीसी की स्थापना के सिविल कार्य के लिए अधिग्रहीत भूमि हेतु मध्यस्थमों की नियुक्ति

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	राजस्व जिला	राज्य
1	2	3	4
1.	उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट	कोप्पल	कर्नाटक
2.	उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट	हसन	कर्नाटक

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-6/12018/396/2009-केएनटी]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2013

S.O. 324(E).—In pursuance of Sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (2) of the Table below to be Arbitrator for the purposes of the said sub-section who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Arbitrators by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said table.

TABLE

Appointment of Arbitrators for land acquired for civil work of the installation of Weigh-in-Motion Cum ATCC between km. 244.22 to km. 244.52 of NH-63 and between km. 201/000 to km. 202/00 on NH-48.

Sl. No.	Designation of the Officer	Revenue Districts	State
1	2	3	4
1.	Deputy Commissioner & District Magistrate	Koppal	Karnataka
2.	Deputy Commissioner & District Magistrate	Hassan	Karnataka

[F.No. RW/NH-6/12018/396/2009-KNT]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.